प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त-उ0प्र0।

2. समस्त अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड-उ0प्र0।

3. समस्त सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई उपखण्ड-उ0प्र0।

पत्रांकः-502 /ल0सिं0/कार्य0/रा.ग्रा.पे.का-ता0/2017-18 दिनांक 04 अगस्त,2017

विषयः- **तालाबों के जीर्णोद्धार/पुनर्विकास/नवनिर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों के दायित्वों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

तालाबों के जीर्णोद्धार/पुनर्विकास/नवनिर्माण का कार्य राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014 से प्रारम्भ हुआ उसके पश्चात् प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्राप मोर काप-अदर इण्टरवेन्शन्स के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के सहयोग से यह कार्य कराया जा रहा है। प्रदेश में गहराते भूजल संकट के दृष्टिगत भविष्य में इस कार्य में और भी वृद्धि होनी है। तालाबों के पुनर्विकास एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश पूर्व में ही मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष स्तर से पत्र संख्या 223/ल0सि0/कार्य0/2017-18 दिनांक 26.05.2017 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

2. उक्त के कम में तालाब के जीर्णोद्धार/पुनर्विकास/नवनिर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों के दायित्वों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता हैः-

क0 सं0	कार्य का विवरण	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी
1	तालाब के जीर्णोद्धार/पुनर्विकास/नवनिर्माण हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कराना।	सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कराकर प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अवर अभियन्ता का होगा।
2	स्थल चयन करना	सम्बन्धित सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा स्थल चयन किया जायेगा। स्थल चयन के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई से निर्णय कराया जोयगा, जो अन्तिम होगा।
3	तालाब के जीर्णोद्धार/पुनर्विकास/नवनिर्माण हेतु डिजाइन एवं ड्राइंग के लिए डाटा इक्ट्ठा करना।	सम्बन्धित अवर अभियन्ता लघु सिंचाई पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

C:\Users\my\Desktop\Pankaj\pankaj je.docx

	जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स/कोआर्डिनेट लेना/कैचमेन्ट का सर्वेक्षण इत्यादि	
4	डिजाइन/ड्राइंग एवं परियोजना तैयार/विरचित करना।	सहायक अभियन्ता डिजाइन/ड्राइंग के साथ जी0पी0एस0 फोटोग्राफ्स संलग्न हों, के लिए उत्तरदायी होगें तथा अधिशासी अभियन्ता उक्त को सुनिश्चित कर लेने के पश्चात् डिजाइन/ड्राइंग अधीक्षण अभियन्ता को भिजवाने हेतु उत्तरदायी होगें।
5	डिजाइन एवं ड्राइंग की चेकिंग कर अनुमोदित करना।	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता उक्त प्रकार से प्राप्त होने वाले फोटोग्राफ व अन्य संबंधित डाटा मुख्यालय के जी0आई0एस0 सेल को मेल के माध्यम से भिजवायेगें, उक्त सेल द्वारा वैलिडेट किये जाने के उपरान्त डिजाइन/ड्राइंग पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6	प्राक्कलन तैयार/गठित करना।	संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता की देख–रेख में प्राक्कलन तैयार/गठित किया जायेगा।
7	प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान करना।	प्राक्कलन स्वीकृत करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता स्वयं स्थल का निरीक्षण करके प्राक्कलन में दी गयी सभी मदों की पुष्टि एवं संतुष्टि होने के उपरान्त ही प्राक्कलन स्वीकृत करेंगे तथा मुख्य अभियन्ता के उक्त पत्र संख्या 223 दिनांक 26.05.2017 में उल्लिखित प्रमाण पत्र अंकित करेंगे। यदि प्राक्कलन उनकी अधिकार सीमा से बाहर का है तो अधीक्षण अभियन्ता को उक्त प्रमाण पत्र सहित स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेगें।
8	तालाब का लेआउट तैयार करना।	सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा लेआउट तैयार किया जोयगा। सहायक अभियन्ता यथा आवश्यकता उपस्थित रहेगें।
9	मृदा खुदाई/चिनाई एवं अन्य समस्त कार्य कराना।	सम्बन्धित अवर अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10	कार्य स्थल पर ठेकेदार द्वारा अण्डर साइज/ओवर साइज सामग्री को लाकर प्रयोग करने की प्रवृति को हतोत्साहित करना तथा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही कार्य में प्रयोग करना।	अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता इसके लिये ठेकेदार को मौखिक/लिखित रूप से समझाकर निर्धारित विशिष्टियों की सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित करायेंगे। अन्यथा स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही ससमय सुनिश्चित करायेगें।

<table>
<tr><td>11</td><td>सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा मापी की चेकिंग कार्य।</td><td>

अधिकारी का पदनाम	ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य	विभाग द्वारा किये गये कार्य
अधिशासी अभियन्ता	5 प्रतिशत्	2 प्रतिशत
सहायक अभियन्ता	25 प्रतिशत्	15 प्रतिशत्

उक्त मापी की चेकिंग मौके पर जाकर सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>12</td><td>तालाब जीर्णोद्धार/पुनर्विकास/नवनिर्माण के उपरान्त हस्तान्तरण एवं रख-रखाव</td><td>तालाब जीर्णोद्धार/ पुनर्विकास/नवनिर्माण का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के पश्चात् इसे ग्राम सभा को हैण्डओवर किये जाने का दायित्व सम्बन्धित अवर अभियन्ता का होगा, तथा रख-रखाव सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।</td></tr>
</table>

3. प्राक्कलन स्वीकृत करना, टेण्डर आमंत्रित/स्वीकृत करना अनुबन्ध गठित करना/कार्यदेश जारी करना, डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन की स्थिति में संशोधित डिजाइन एवं ड्राइंग तथा वैरिएशन स्वीकृत करना व पेमेन्ट करने सम्बन्धी कार्यों के लिए लोक लेखा पद्धति के अन्तर्गत विस्तृत निर्देश जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड (VI) एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेश एवं विभागीय आदेशों में प्राविधानित है, के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,
(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता

पत्रांकः- /ल0सिं0/कार्य0/रा.ग्रा.पे.का-ता0/2017-18तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल।

(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता

C:\Users\my\Desktop\Pankaj\pankaj je.docx